गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम – महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गेल भवन,
16 भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066, इंडिया
GAIL BHAWAN,
16 BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110066, INDIA
फोन/PHONE : +91 11 26182955
फैक्स/FAX : +91 11 26185941
ई–मेल/E-mail : info@gail.co.in

एनडी/गेल/सेक्ट/2021 06.08.2021

1. लिस्टिंग अनुपालन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400 051 **स्क्रिप कोड: गेल-ईक्यू**	2. लिस्टिंग अनुपालन बीएसई लिमिटेड फ्लोर 1, फिरोज़ जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001 **स्क्रिप कोड: 532155**

विषय : 30.06.2021 को समाप्त तिमाही हेतु गैर-लेखापरीक्षित वितीय परिणामों का समाचार पत्र में प्रकाशन के विषय में

प्रिय महोदय/ महोदया,

यह सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 30 के अनुपालन में है ।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कृपया अनुलग्नक प्राप्त करें।

उपर्युक्त आपकी जानकारी एवं रिकॉर्ड हेतु है।

धन्यवाद,
भवदीय,

(ए के झा)
कंपनी सचिव

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

जलभराव से निपटने के लिए तैयार रहें अधिकारी : जैन

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश

फाइल फोटो

● कहा-गाद निकालने के साथ जरूरत पड़ने पर नए नालों का निर्माण किया जाए

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मानसून के आगमन के साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के पानी से जलभराव सहित अन्य समस्या सामने आती हैं। कई इलाकों में सड़कें तालाब-दरिया में तब्दील हो जाती हैं। इसके चलते पैदल चलने वालों के साथ-साथ वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर वर्ष बरसात में जलभराव की समस्या रहती है। बावजूद इसके स्थानीय निकाय इस समस्या के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार सख्त हो गई है उसने लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सतर्क रहें जिससे राष्ट्रीय राजधानी में जलभराव न हो।

पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक में नरेला औद्योगिक एस्टेट क्षेत्र में मौजूदा नाले की क्षमता कम होने के कारण हो रहे जलभराव की समस्या पर भी चर्चा हुई। जिसमें मंत्री ने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की किसी भी समस्या को हल्के में नहीं लेना होता है।

सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों को मानसून के दौरान जलजमाव की किसी भी तरह की शिकायत के तत्काल समाधान के लिए हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नालों के रख-रखाव और नालों से गाद निकालने के अलावा जरूरत पड़ने पर नए नालों का निर्माण भी किया जाए, ताकि दिल्ली वालों को जलभराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

जैन ने अधिकारियों को किसी भी हिस्से से आने वाली जलजमाव की शिकायत के लिए सतर्क और सक्रिय रहने को कहा है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जलभराव के कारण लोगों को किसी भी तरह की समस्या न हो। इससे पहले हुई बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जहां भी जलभराव हुआ है, वहां पंपों का उपयोग करें और जहां भी सड़कों को नुकसान पहुंचा है, उसकी जल्द मरम्मत करें।

मास्टर प्लान-2041 के लिए व्यापारियों से मांगे सुझाव

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● उपमुख्यमंत्री ने एक हफ्ते में सुझाव व शिकायतें भेजने का किया अनुरोध

दिल्ली मास्टर प्लान-2041 को लेकर डीडीए की ओर से सभी स्टेकहोल्डर्स से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। इस मास्टर प्लान को मास्टर प्लान 2021 से किस तरह से अलग बनाया जाए। इस मुद्दे पर सभी शिकायतें और सुझाव मिलने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण इसे अंतिम रूप देगा।

इस बीच व्यापारिक संगठनों ने दिल्ली सरकार को अपने सुझाव सौंपकर इनको डीडीए को एमपीडी 2041 में शामलि कराने की दवाब बनाना भी शुरू कर दिया है। शीर्ष व्यापारिक संगठन सीटीआई ने उमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से इस संबंध में हाल ही में मुलाकात भी की थी और केजरीवाल सरकार से व्यापारियों के सुझावों को भी नए मास्टर प्लान का हिस्सा बनाने का अनुरोध किया है। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि सिसोदिया ने साथ हुई बैठक में व्यापारी नेताओं ने अनुरोध किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार उनके विषयों को डीडीए के समक्ष रखे। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से व्यापारियों के साथ है।

उन्होंने कहा उनकी सरकार भी चाहती है कि व्यापारियों के मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सिसोदिया ने व्यापारियों से 1 हफ्ते में अपने सुझाव भेजने का अनुरोध किया जिससे कि तय सीमा में उनके मुद्दों को डीडीए के समक्ष रख सके।

बच्ची से रेप, हत्या मामले को मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाया

नई दिल्ली। दिल्ली छावनी के ओल्ड नांगल गांव की दलित बेटी के रेप व हत्या के बाद बिना अनुमति जबरन उसका दाह संस्कार मामले की शिकायत गुरुवार को कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस पीसी पंत के समक्ष दर्ज कराई।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के निर्देशानुसार दिल्ली कांग्रेस के विधिक एवं मानव अधिकार विभाग के चैयरमेन एडवोकेट सुनील कुमार ने अपनी लीगल टीम के साथ जस्टिस पीसी पंत से मिलकर शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में मांग की गई कि मानव अधिकार आयोग जांच के लिए टीम गठित करे जो वहां जाकर जांच करें कि पुलिस ने दलित परिवार की एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की तथा जबरन मृतक दलित बेटी के माता पिता को घंटो पुलिस थाने में क्यों बिठाया गया।

नशीला पदार्थ तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़

द्वारका से दो महिलाएं गिरफ्तार, चार करोड़ की हेरोइन जब्त

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंड़फोड़ करते हुए दो महिलाओं को द्वारका इलाके से गिरफ्तार किया है।

नाइजीरिया से संचालित हो रहे इस ड्रग्स रैकेट से 4 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि वे पंजाब हरियाणा बरेली, मुंबई, कोलकाता में ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ी थीं। पकड़ी गई एक महिला विदेशी है जबकि दूसरी मधु नाम की महिला दिल्ली की रहने वाली है।

पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाएं अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ करोड़ों रुपयों की ड्रग्स की खेप अलग अलग राज्यों में सप्लाई कर चुकी हैं। पुलिस गैंग के दूसरे सदस्यों को तलाश करने में जुटी है। चार करोड़ रुपयों की हेरोइन पकड़े जाने को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। इस मामले में जल्द और भी गिरफ्तारियां कर सकती है।

सोने के साथ सूडान के 3 नागरिक धरे

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से एक महिला समेत सूडान के तीन नागरिकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1.82 करोड़ रुपए मूल्य का 4.1 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है। सीमा शुल्क विभाग ने बृहस्पतिवार को एक वक्तव्य जारी कर यह जानकारी दी। वक्तव्य के मुताबिक यह लोग बुधवार को दुबई से नई दिल्ली आए थे। हवाई अड्डे पर तीनों के सामान की विस्तृत जांच के दौरान 4,113 ग्राम के सोने के बिस्कुट बरामद किए गए। बरामद किए गए सोने की कीमत 1.82 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वक्तव्य के मुताबिक सोने को जब्त कर यात्रियों को हिरासत में रखा गया है।

संक्षिप्त समाचार

महाशिवरात्रि के अवसर पर सेंट्रल मार्केट अशोक विहार में श्रद्धालुओं को गंगाजल वितरित करते दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता व अन्य।

महाशिवरात्रि पर गंगाजल से किया अभिषेक

नई दिल्ली। निष्काम सेवा ट्रस्ट के द्वारा गंगा का पवित्र जल हरिद्वार से लाकर सेंट्रल मार्केट अशोक विहार में श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि के अवसर पर महादेव के जलाभिषेक हेतु वितरण किया गया। इससे पहले सनातन धर्म मंदिर अशोक विहार फेस दो से धूमधाम के साथ गंगा जल से भरे रथ को सेंट्रल मार्केट अशोक विहार लाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, ट्रस्ट के अध्यक्ष सतीश गर्ग ने कहा कि भगवान शिव कल्याण और समन्वय के देवता है वह किसी का अहित नहीं करते, संकल्पित होकर शिव उपासना करते हुए शुभ अशुभ कर्मों को शिवार्पण करने से कर्म गति का चक्र छूट जाता है।

सिविल सेंटर में एसडीएमसी की पहली ई-हैरिटेज बुक का अनावरण करते उपराज्यपाल अनिल बैजल, महापौर मुकेश सुर्यान व निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती व मौजूद अधिकारी।

एसडीएमसी की पहली ई-हैरिटेज बुक का अनावरण

नई दिल्ली। दक्षिणी निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 108 बहुविध विरासत स्थलों से संबधित पहली ई-हैरिटेज बुक ग्लोरीयस हैरिटेज का गुरुवार को अनावरण किया गया। सिविक सेंटर में गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में उपराज्यपाल अनिल बैजल, महापौर मुकेश सुर्यान व निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती ने दक्षिणी निगम की ई-हैरिटेज बुक ग्लोरीयस हैरिटेज का अनावरण किया। इस अवसर पर स्थायी समिति के अध्यक्ष कर्नल बीके ओबरॉय, नेता सदन इन्द्रजीत सहरावत, स्थायी समिति की उपाध्यक्षा पूनम भाटी, अतिरिक्त आयुक्त एए ताजीर व निगम के अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

बच्ची से रेप व हत्या के दोषियों सजा मिले : अठावले

नई दिल्ली। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को दिल्ली में नौ साल की दलित बच्ची से कथित रेप और हत्या के मामले में दोषियों को मौत की सजा देने की मांग करते हुए कहा कि वह इस मामले को गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाएंगे। अठावले ने लड़की के परिवार से भी मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अठावले ने हिंदी में किए ट्वीट में लिखा कि दिल्ली में मासूम बालिका के साथ हुई दुखद घटना के संदर्भ में पीड़ित परिजनों से मिलकर संवेदना प्रकट की।

बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारकर किया घायल

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने 36 वर्षीय एक व्यक्ति को कथित तौर पर गोली मार दी।

पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि मदनगीर के निवासी गोहर आलम के हाथ में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। घटना बुधवार रात करीब नौ बजकर 34 मिनट की है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आलम ने पुलिस को बताया कि वह अपने कार्यालय में थे, जब दो अज्ञात लड़के वहां आए और उन पर गोलियां चला दी, जिससे उनके हाथ में गोली लग गई। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है।

शरणार्थी शिविरों में सुविधाओं वाली याचिकाओं को अभ्यावेदन मानें : कोर्ट

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आप सरकार को यहां शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं के अनुरोध वाली याचिका पर अभ्यावेदन के तौर पर विचार करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एक पीठ ने संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदनों पर तथ्यों पर लागू कानून और नीति के अनुसार निर्णय करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पटेल ने कहा, इस याचिका को प्रतिवादियों द्वारा एक अभ्यावेदन माना जाएगा। आप सीधे अदालत क्यों आ रहे हैं? न्यायमूर्ति पटेल ने यह टिप्पणी एक गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) के संस्थापक और चार अन्य लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिन्होंने दावा किया था कि वे जातीय भेदभाव के कारण पाकिस्तान से भागकर आए हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता गौतम झा ने कहा कि जिस स्थिति में शरणार्थी, जो हमारे पड़ोसी देश से प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं, मजनू का टीला और सिग्नेचर ब्रिज के शिविरों में रह रहे हैं वह भयावह है और लैंगिक आधारित जोखिम को बढ़ाता है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शिविरों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बावजूद, प्राधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। याचिका में कहा गया है,

यह भारत सरकार की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है कि वह पाकिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यक लोगों और भारत आने वाले सभी लोगों की देखभाल करे, उन्हें टिकाऊ समाधान प्रदान करे और उन्हें समाज में एकीकृत करे।

बिजली चोरी कम होने का लाभ आम जनता को मिले : बिधूड़ी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने राजधानी में बिजली चोरी कम होने का फायदा आम जनता तक नहीं पहुंचाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जिन इलाकों में अभी भी बिजली चोरी हो रही है, उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही। क्या केजरीवाल सरकार बिजली चोरों को संरक्षण दे रही है।

नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में जब 2002 में बिजली का निजीकरण हुआ था तो बिजली चोरी 55 फीसदी से भी ज्यादा थी। अब प्राइवेट कंपनियों ने खुद मान लिया है कि अब बिजली चोरी घटकर साढ़े 7 फीसदी रह गई है।

वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग विधेयक को संसद की मंजूरी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों की आबोहवा दुरुस्त करने के लिए संसद से बिल पारित हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक, 2021 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई।

इस विधेयक में दिल्ली और उसके आस पड़ोस के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं को लेकर बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग गठित करने का प्रावधान है। विधेयक को राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है।

उच्च सदन में वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निराकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

आधुनिक तकनीक से लैस होगी डीएसयू

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेल विश्वविद्यालय में शुमार होगा : जैन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली स्पोर्टर्स यूनिवर्सिटी (डीएसयू) दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेल विश्वविद्यालयों में शुमार होगी। यहां खेल से संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं खिलाड़ियों को मुहैया कराई जाएंगी। ताकि वे इन सुविधाओं का लाभ उठा कर देश के लिए पदक जीत सकें। डीएसयू के निर्माण को लेकर गुरुवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें इसके डिजाइन लेआउट को लेकर चर्चा की गई।

मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन ने यूनिवर्सिटी के डिजाइन की समीक्षा की और उसमें सुधार करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री ने कहा विवि का निर्माण खिलाड़ियों की जरूरतों को ध्यान में रख कर किया

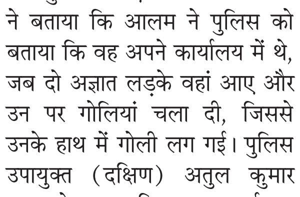

जाएगा। इसलिए ये सुनिश्चित किया जाए की विवि में खिलाडियों के प्रदर्शन को बेहतर करने के साथ-साथ उनके स्वस्थ जीवनशैली के लिए जरूरी सभी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए। ताकि खिलाडियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले और वे देश के लिए मेडल्स जीत सके।

सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खेल विश्वविद्यालय में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के समान सुविधाएं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी को स्पोर्ट्स के आधुनिक तकनीक और उपकरणों से लैस किया जाएगा ताकि खिलाडियों के प्रदर्शन को बेहतर किया जा सके और साथ ही उनका ओवरआल वेल- बीइंग सुनिश्चित किया जा सके।

मालूम हो कि दिल्ली सरकार देश के लिए पदक जीतने वाली खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की दिशा में काम कर रही है।

यह विवि दिल्ली सरकार की एक अनूठी परियोजना है जिसका निर्माण लगभग 80 एकड़ भूमि में किया जाएगा। यहां वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स सहित लगभग सभी प्रमुख खेलों में खिलाडियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और विभिन्न खेलों से संबंधित सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय खेल संघों के मानकों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा।

गेल
GAIL

गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही हेतु गैर-लेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणाम का सारांश

(करोड़ ₹ में, ईपीएस के अलावा)

क्र. सं.	विवरण	एकल			समेकित		
		समाप्त तिमाही		समाप्त वित्तीय वर्ष	समाप्त तिमाही		समाप्त वित्तीय वर्ष
		30 जून, 2021	30 जून, 2020	31 मार्च, 2021	30 जून, 2021	30 जून, 2020	31 मार्च, 2021
		गैर-लेखापरीक्षित	गैर-लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	गैर-लेखापरीक्षित	गैर-लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय	17,386.63	12,090.07	56,737.79	17,588.64	12,183.23	57,428.26
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मद पूर्व)	2,053.73	356.19	6,385.81	2,540.25	728.74	7,725.45
3.	अवधि हेतु कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मद पश्चात)	2,053.73	356.19	6,385.81	2,540.25	728.74	7,725.45
4.	अवधि हेतु कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मद पश्चात)	1,529.92	255.51	4,890.18	2,157.15	642.97	6,142.82
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित	2,298.59	684.52	6,172.57	2,995.30	1,055.24	7,468.77
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक)	4,440.39	4,510.14	4,440.39	4,440.39	4,510.14	4,440.39
7.	तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकित रिज़र्व के अलावा रिज़र्व	-	-	39,043.10	-	-	44,521.35
8.	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक)						
	(क) मूल (₹)	3.45	0.57	10.85	4.81	1.45	13.61
	ख) तनुकृत (₹)	3.45	0.57	10.85	4.81	1.45	13.61
	(तिमाही हेतु ईपीएस का वार्षिकीकरण नही किया गया)						

टिप्पणी:-

1. उपर्युक्त भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अधीन विस्तृत प्रारूप में स्टॉक एक्सचेंज में फाइल किए गए 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का सारांश है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.nseindia.com, www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.gailonline.com) पर उपलब्ध है।
2. उपर्युक्त परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित कंपनियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) के अनुसार है, जिसे उसके अंतर्गत जारी किए गए प्रासंगिक नियमों और सामान्यतः भारत में स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाए।
3. पिछली अवधि के आंकड़ों को चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक है, पुनः समूहीकृत किया गया है।

कृते गेल (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता./-
(ए के तिवारी)
निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ
(डीआईएन : 07654612)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 5 अगस्त, 2021

(सीआईएन: L40200DL1984GOI018976)

www.gailonline.com | पंजीकृत कार्यालय : 16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110 066 | पर हमें फॉलो करें